रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2645] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2015/अग्रहायण 19, 1937
No. 2645] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2015/AGRAHAYANA 19, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3331(अ).-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

नमदफा व्याघ्र आरक्षित 1807.82 किलोमीटर के क्षेत्र को घेरे हुए है जिसे धारा 38 फ के अधीन अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूएल/डी 21(11)/06-07/3253-3512 तारीख 24 दिसंबर , 2007 द्वारा बाघ, सह शिकारी, शिकार आधार और उनके निवास को अनातिक्रांत क्षेत्र के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करने के लिये अधिसूचित किया गया है ;

यह कि 245 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से घिरे और उक्त वन्यजीव (संरक्षण)अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचना सं.सीडब्ल्यूएल/डी21(67)/2010-11/797-874 तारीख 15 जून, 2012 द्वारा अधिसूचित नमदफा व्याघ्र आरक्षित का उभयप्रतिरोधी जोन, प्रमुख क्षेत्र के साथ देश में सबसे बडें उष्णकटिबंधी वर्षा वन के संक्रामक ब्लांक में सें एक है और उत्तर - पूर्व भारतीय वन के भीतर संसक्ति बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्षेत्र में जल और शासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा मोटे तौर पर क्षेत्र के

जंगल के प्रकार, उष्णकटिबंधी आर्द्र अर्ध सदाहरित से लेकर सदाहरित वन तक, उप उष्णकटिबंधी चौडी वाले वन और उप शीतोष्ण चौडी वाले वन है।

यह कि पारिस्थितिकीय और पर्यावरण दृष्टी से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में नमदफा व्याघ्र, आरक्षित क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को सुरक्षित और संरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अरुणाचल प्रदेश में नमदफा व्याघ्र आरक्षित की सीमा शून्य से 1400 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को नमदफा व्याघ्र आरक्षित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का विस्तार, नमदफा व्याघ्र आरक्षित की सीमा शून्य से 1400 मीटर तक है।
2. पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का विस्तार उत्तर की ओर शून्य मीटर है जहां नमदफा व्याघ्र आरक्षित और कमलांग वन्यजीव अभयारण्य की सामान्य सीमा है और पूर्व की ओर शून्य मीटर है तथा दक्षिण में भारत मयनमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा की भागीदार है।
3. पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का क्षेत्र 4314.30 हेक्टेयर है तथा ऐसे जोन की सीमाओं का विवरण निम्न अनुसार है

उत्तर भूनिर्देशांक 96°23'43.867 " पूर्व और 27°39'2.059 " उत्तर बिंदु से प्रारंभ होकर , सीमा लगभग 500 मीटर तक नमदफा व्याघ्र आरक्षित की उत्तरी पश्चिम सीमा पर चम्पई बम तक पूर्व की ओर जाती है।

पूर्व पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का विस्तार पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का विस्तार नमदफा राष्ट्रीय उदान की पश्चिम सीमा के साथ साथ चलते हुए भू निर्देशाक 96°27'6.703" पूर्व तथा 27°18' 5.47 " उत्तर पर राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिम सीमा के प्रारंभिक बिंदु तक है

(2) **पश्चिम** भू निर्देशांक 96° 26' 39.986" पूर्व और 27° 18' 58.014" उत्तर, 96° 26' 3.665" पूर्व और 27° 19' 39.816" उत्तर, 96° 25' 27.345" पूर्व और 27° 20' 31.213" उत्तर, 96° 25' 49.27" पूर्व और 27° 21' 21.924" उत्तर, 96° 24' 51.025" पूर्व और 27° 21' 33.574" उत्तर, 96° 23' 44.553" पूर्व और 27° 22' 24.285" उत्तर 96° 23' 8.233" पूर्व और 27° 23' 3.346" उत्तर, 96° 21' 41.201" पूर्व और 27° 23' 8.828" उत्तर, 96° 20' 44.323" पूर्व और 27° 13' 13.107" उत्तर, 96° 20' 14.885" पूर्व और 27° 23' 22.534" उत्तर, 96° 18' 30.00" पूर्व और 27° 24' 22.839" उत्तर, 96° 18' 41.657" पूर्व और 27° 25' 8.068" उत्तर, 96° 18' 38.23" पूर्व और 27° 25' 39.591" उत्तर, 96° 18' 40.971" पूर्व और 27° 26' 33.043" उत्तर, 96° 18' 21.784" पूर्व और 27° 28' 8.445" उत्तर, 96° 16' 40.361" पूर्व और 27° 29' 38.07" उत्तर, 96° 16' 17.062" पूर्व और 27° 30' 50.71" उत्तर, 96° 18' 59.474" पूर्व और 27° 31' 48.274" उत्तर, 96° 20' 22.394" पूर्व और 27° 31' 24.289" उत्तर, 96° 21' 53.536" पूर्व और 27° 31' 58.248" उत्तर, 96° 23' 2.065" पूर्व और 27° 30' 37.69" उत्तर, 96° 22' 58.897" पूर्व और 27° 31' 55.812" उत्तर, 96° 23' 13.03" पूर्व और 27° 35' 10.433" उत्तर, 96° 23' 58.994" पूर्व और 27° 35' 50.18" उत्तर, 96° 24' 29.096" पूर्व और 27° 37' 39.825" उत्तर पर बिंदुओं से होते हुए सीमा 96° 23' 43.867" पूर्व और 27° 39' 2.059" उत्तर भू-..... के ..... बिंदु तक जाती है

(3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र, इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) केन वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर कोई ग्राम नहीं आता है।

2. पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) चूंकी नमदफा व्याघ्र आरक्षित का उभयप्रतिरोंधी जोन पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का भाग है इसलिए आंचलिक महायोजना तैयार करते समय उभयप्रतिरोधी जोन से संबधित व्याघ्र संरक्षण योजना पर भी विचार किया जायेगा

(4) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्टी रूप में ऐसी रीती में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हो, द्वारा तैयार होगी

(5) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित सभी संबद्ध विभागो के परामर्श से तैयार होगी अर्थात:-

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ; और

(viii) अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिकीय अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्र.सं. 27, 30, 37 और 42 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग,

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(iii) वर्षा जल संचयन; और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पी भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत --** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिकीय पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक के अनुसार, होगा जिसमें पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकीय शिक्षा और पारिस्थितिकीय विकास को महत्व दिया जायेगा और पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) नमदफा व्याघ आरंक्षित की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर पर्यटन क्रियाकलाप के लिए अस्थायी निवास स्थान के सिवाय होटल और रिसार्ट मे नए संनिर्माण अनुज्ञात नही होगे।

परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी के आगे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन तक नए होटल और रिसार्टो का स्थापित करने के लिए अनुज्ञा पूर्व परिभाषित और पदाभिहित क्षेत्रो में केवल पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधाओं के लिए दी जाएगी ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाइयां-**

(क) विधी के अनुसार स्थापित काष्ठ आधारित विद्यमान उद्योगो के सिवाय प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योगो का स्थापित करने की अनुज्ञा नही होगी।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर जल, वायु मृदा ध्वनि प्रदुषण कारित करने वाले किसी नए उद्यागो को स्थापित करने की अनुज्ञा नही होगी।

4.पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।

2.	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
10.	शिकार करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
11.	नदी का विषैलापन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
12.	विस्फोटक का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
13.	अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी नए लकड़ी आधारित उद्योग की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
14.	जल, जिसके अंतर्गत कृषि है का संदूषण या प्रदूषण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
15.	नई उच्च वोल्टता पारेषण लाइन/तार बिछाना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
16.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
17.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
19.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना।
20.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
22.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

23.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	वायु (ध्वनि सहित) और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।
27.	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
28.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	सुरक्षा बलों के कैंप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	काष्ठ का संचयन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
32.	झूम की कृषि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
33.	चाय/कॉफी संपदा की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
34.	होटलो और रिसोर्टो की स्थापना।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नही किया जाएगा सिवाय पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप के संबंध में पर्यटको के अस्थायी निवास स्थानो के (ख) एक किलोमीटर के परे और पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापो का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग – दर्शक सिद्धांतो के अनुरूप किया जाएगा
35.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञातर नही किया जायेगा परन्तु यह की स्थानीय निवासियों को उनकी घरेलु आवरू स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अनुज्ञात किया जाएगा (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागु नियमो और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार विनियमित होगे और न्यूनत्तम पर रखे जाएंगे। (ग) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के आगे और पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के विस्तार तक सदभावी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलापों आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होगे। (घ) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आचलिक महायोजना के अनुसार किए जाएगे। भीतर किसी प्रकार के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे। प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप की दशा में, इसे विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम पर रखा जाएगा।
	ग. **संवर्धित क्रियाकलाप**	
36.	डेयरी, डेयरी उद्योग और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।

37.	वर्षा जल संचयन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
38.	जैविक खेती।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
39.	सभी गतिविधियो के लिए हरित प्रौद्योगिक को ग्रहण करना	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
40.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
41.	वानस्पतिक बाड	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
42.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
43.	मिथुन (बोसफ्रंटेलिस) का उत्पादन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।

5. पारिस्थितिकीय संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) उपायुक्त, चंगलांग जिला, अरुणाचल प्रदेश सरकार - अध्यक्ष ;

(ख) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि – सदस्य;

(ग) सदस्य-सचिव, अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इतानगर -सदस्य;

(घ) कार्यपालक इंजीनियर, पीएचई विभाग, चंगलांग जिला – सदस्य ;

(ङ) कार्यपालक इंजीनियर, ग्रामीण निर्माण विभाग , चंगलांग जिला – सदस्य ;

(च) जिला कृषि अधिकारी, चंगलांग जिला - सदस्य ;

(छ) उप- निदेशक, नगर विकास, चंगलांग जिला - सदस्य ;

(ज) अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(झ)भू – अभिलेख और बंदोबस्त अधिकारी , चंगलांग जिला – सदस्य ; और

(ञ) वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक, नमदफा व्याघ आरक्षित , मियाओं - सदस्य ;

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध II** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/38/2015-ईएसजेड/आरई]

डा. टी. चांदनी,वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

नमदफा व्याघ्र आरक्षित , अरुणाचल प्रदेश की पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का इसके अधिकतम और विस्तार के अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र

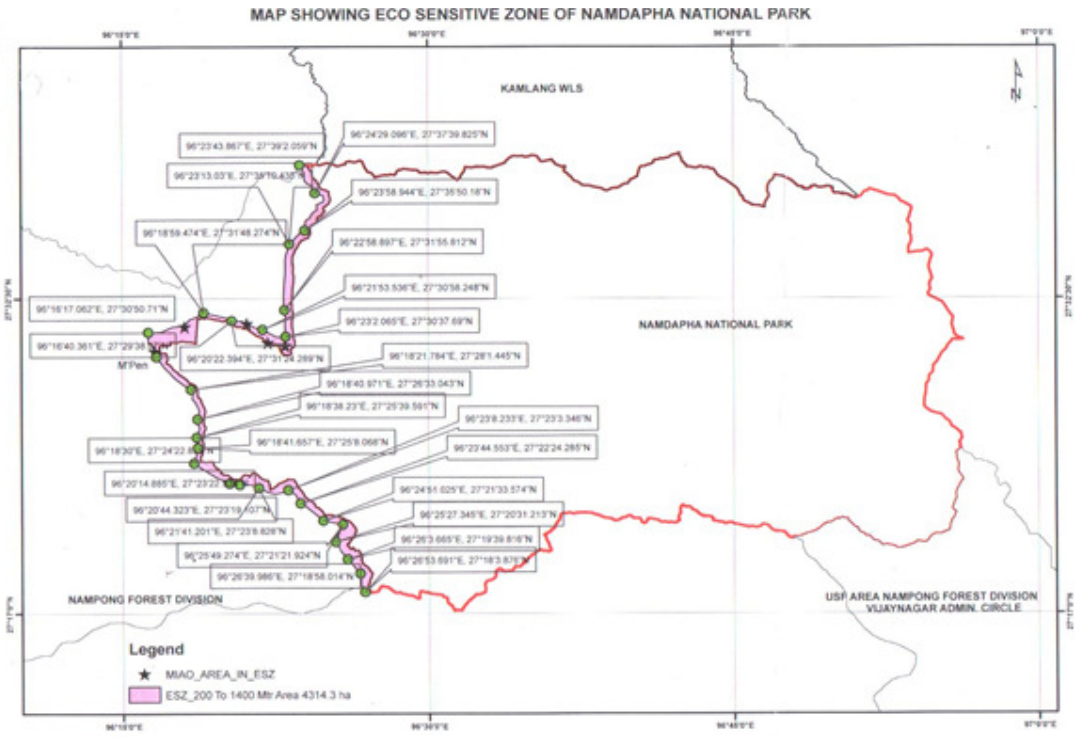

उपाबंध-II

पारिस्थितिकीय संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 8th December, 2015

S.O. 3331(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at:- esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Namdapha Tiger Reserve covering an area of 1807.82 kilometres has been notified under section 38V of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) vide number CWL/D/21(11)/06-07/3253-3512 dated the 24th December, 2007 for the protection and conservation of tiger, co-predator, prey base and their habitat as inviolate area;

AND WHEREAS, the buffer zone of Namdapha Tiger Reserve covering an area of 245 square kilometres and notified under section 38V of the said Wildlife (Protection) Act, 1972 *vide* number CWL/D/21(67)/2010-11/797-874 dated the 15th June, 2012 along with core area is among the largest contagious block of tropical rain forest in the country and is extremely important in maintaining contiguity within the north-east Indian forest, playing a vital role in maintenance of water and regime of the region and the broad forest types of the area are Tropical Wet Semi Evergreen to Evergreen forest, Sub-Tropical Broad Leaved Forest and Sub-Temperate Broad- Leaved forest;

AND WHEREAS**,** the major tree species are *Terminalia myriocarpa, Altingia excelsa, Bambax ceiba, Castanopsis indicam, Mesua ferrea, Phoebe goalparensis.* Bamboos as *Dendrocalamus hamiltonii, Bambusa pallida, Pseudostrachyum polymorphum and c*anes as *Calamus floribundus, C. flagellum* are found to occur in the Tiger Reserve;

AND WHEREAS, the major mammal species include *Elephus maximus*, *Panther tigris*, *Panthera pardus*, *Neofelis nebulosa, Ursus thibetanus*, *Macaca assamensis*, *Trachypithecus pileatus*, *Cervus unicolor*, *Muntiacus muntjak*, *Naemorhedus goral*, *Sus scrofa*, *Cuon alpines* etc;

AND WHEREAS, the bird fauna largely comprise of- Babblers, Flycatchers, Jungle fowl, Kingfishers, Laughing thrushs, Nighters, Nuthatchs etc, the herpeto fauna broadly comprise of frogs as- *Bufo* sp., *Duttaphrynus* sp., *Hyla* sp., *Megophyrus* sp., etc and reptiles as Lizards- *Calotes* sp., *Japalura* sp., *Hemidactylus* sp., *Varanus* sp. Skinks as- *Eutrophis* sp., *Lygosoma* sp., Snakes as –*Python* sp., *Ahaetulla* sp., *Amphiesma* sp., *Bungarus* sp., *Naja* sp., *Ophiophagus* sp., Tortoises as- *Cuora* sp., *Pangshura* sp. and the aquatic bodies harbors various fishes as *Danio* sp., *Barilius* sp., *Semiplotus* sp., *Puntius* sp., *Tor* spp., *Chagunius* sp., *Garra* sp., *Noemacheilus* sp., *Glyptothorax* sp. etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the of Namdapha Tiger Reserve as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero to 1400 metres from the boundary of the Namdapha Tiger Reserve in the State of Arunachal Pradesh as the Namdapha Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-**(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero metres to 1400 meters from the boundary of the Namdapha Tiger Reserve.

2. The extent of Eco-sensitive Zone is zero meters towards north, where Namdapha Tiger Reserve shares boundary with Kamlang Wildlife Sanctuary and zero meters towards east and south sharing Indo-Myanmar international boundary.

3. The area of Eco- sensitive Zone is 4314.30 hectares and the boundary description of such Zone is as follows:-

North.- Starting from the point at Geo-Coordinates 96° 23' 43.867" E and 27° 39' 2.059" N, the boundary goes Eastwards for about 500 metres upto Champai Bum at the Northwest boundary of Namdapha Tiger Reserve.

East.- The boundary of Eco-Sensitive Zone extends all along the Western boundary of Namdapha National Park upto the starting point of Western boundary of the National Park at Geo-Coordinates 96° 27 ' 6.703" E and 27° 18' 5.47" N.

South.- The boundary extends towards West for about 382.85 mt upto the point at Geo-Coordinates 96° 26' 53.691" E and 27° 18' 3.876" N.

West.- The boundary passes through the points at Geo-Coordinates 96° 26' 39.986"E and 27° 18' 58.014" N, 96° 26 3.665 E and 27° 19 39.816 N, 96° 25 27.345E and 27° 20 31.213"N, 96° 25 49.274E and 27° 21 21.924N, 96° 24 51.025E and 27° 21 33.574N, 96° 23 44.553E and 27° 22 24.285N, 96° 23 8.233E and 27° 23 3.346N, 96° 21 41.201E and 27° 23 8.828N, 96° 20 44.323E and 27° 23 13.107N, 96° 20 14.885 E and 27° 23 22.534N, 96° 18 30.00E and 27° 24 22.839N, 96° 18 41.657E and 27° 25 8.068N, 96° 18 38.23E and 27° 25 39.591N, 96° 18 40.971E and 27° 26 33.043N, 96° 18 21.784E and 27° 28 1.445N, 96° 16 40.361E and 27° 29 38.07N, 96° 16 17.062E and 27° 30 50.71N, 96° 18 59.474E and 27° 31 48.274N, 96° 20 22.394E and 27° 31 24.289N, 96° 21 53.536E and 27° 31 58.248N, 96° 23 2.065E and 27° 30 37.69N, 96° 22 58.897E and 27° 31 55.812N, 96° 23 13.03e and 27° 35 10.433N, 96° 23 58.994E and 27° 35 50.18N, 96° 24 29.096E and 27° 37 39.825N upto the starting point at Geo-Coordinate 96° 23 43.867E and 27° 39 2.059N.

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure I**.

(5) The villages falling within the Eco-sensitive Zone are, Buddhista, Anandpur-II, Lama camp and Pakan.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) As the buffer zone of the Namdapha Tiger Reserve is part of the Eco-sensitive Zone, the Tiger Conservation Plan relating to the buffer zone shall also be taken into consideration during the preparation of the Zonal Master Plan.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture; and
(viii) Arunachal Pradesh State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 27,30, 37 and 42 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution;
(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;
(iii) Rainwater harvesting; and
(iv) Cottage industries including village artisans:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas as per buffer zone management plan of the Namdapha Tiger Reserve.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Arunachal Pradesh in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Arunachal Pradesh.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Namdapha Tiger Reserve except for accommodation for temporary occupation of tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government of Arunachal Pradesh shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government of Arunachal Pradesh shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under.- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority of the State Government and the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units**.-

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities:		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N.Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Uses of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Hunting.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	River poisoning.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Use of Explosive.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

13.	Establishment of new wood based industry within one kilometer from the boundary of the Sanctuary.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
14.	Contamination or pollution of water including from agriculture.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
15.	Laying of new high tension transmission Line/wire.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities:	
16.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
17.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
18.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a)The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
19.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
20.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
22.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
23.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
24.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
25.	Air (including noise) and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
26.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
27.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
28.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
29.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
31.	Harvesting of timber.	Regulated under applicable laws.
32.	Jhum cultivation.	Regulated under applicable laws.
33.	Setting up of Tea / Coffee estate.	Regulated under applicable laws.

34.	Establishment of hotels and resorts.	(a) No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. (b) Beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
35.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre from the boundary of the protected area upto the extent of Eco - sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (d) Construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per the Zonal Master Plan.
C. PermittedActivities:		
36.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
39.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
40.	Use of renewable energy sources.	Permitted under applicable laws.
41.	Vegetative fencing.	Permitted under applicable laws.
42.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
43.	Rearing of Mithun (*Bos frontalis*).	Permitted under applicable laws.

5. **Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(a) Deputy Commissioner, Changlang District, Government of Arunachal Pradesh – Chairman;

(b) One representative of Non-governmental Organizations' working in the field of environment to be nominated by the Government of Arunachal Pradesh for a term of one year – Member;

(c) Member Secretary, Arunachal Pradesh State Pollution Control Board, Itanagar -Member;

(d) Executive Engineer, PHE Department, Changlang District - Member;

(e) Executive Engineer, Rural Works Department, Changlang District - Member;

(f) District Agriculture Officer, Changlang District - Member;

(g) Deputy Director, Urban Development, Changlang District - Member;

(h) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Arunachal Pradesh - Member;

(i) Land records and Settlement Officer, Changlang District - Member; and

(j) Conservator of Forest and Field Director, Namdpha Tiger Reserve, Miao – Member Secretary.

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State per proforma appended at **Annexure II**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No. 25/38/2015-ESZ/RE]

Dr. T.CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Namdapha Tiger Reserve, Arunachal Pradesh together with its latitudes and longitude of extremes and extent.

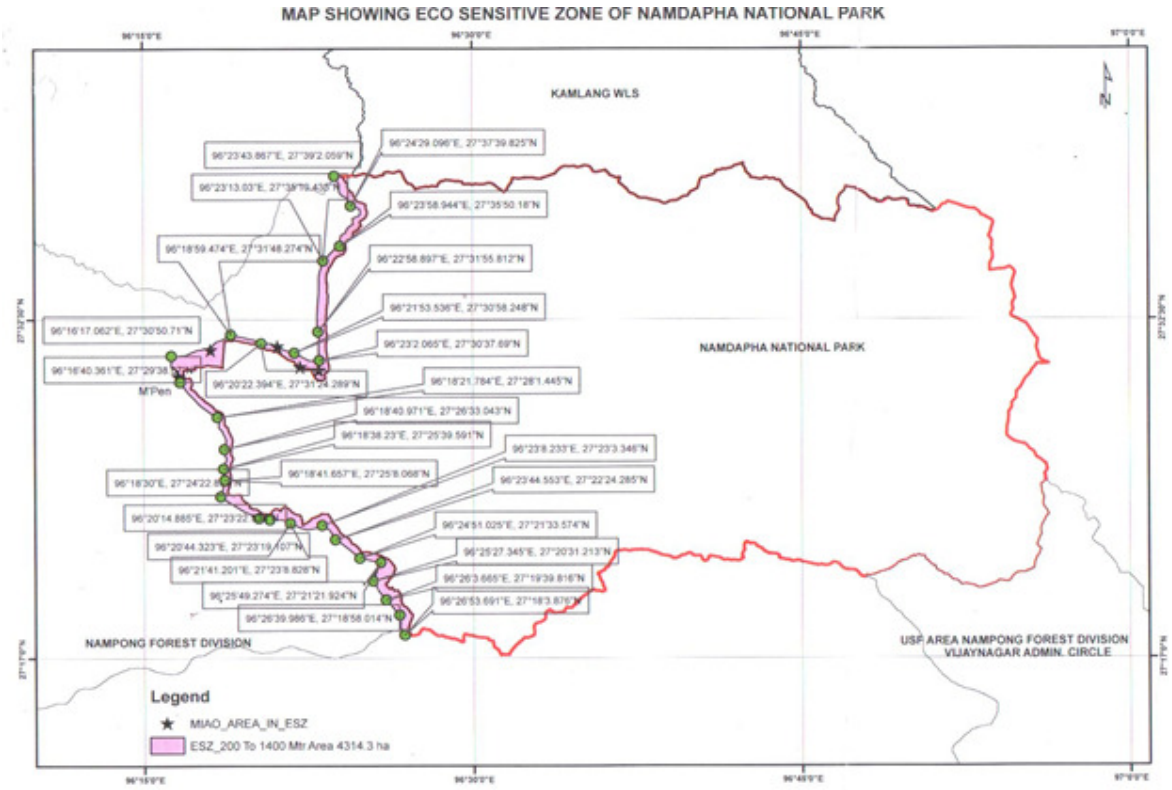

Annexure II

Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.